


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार लक्ष्मण पाड़ेया, पिता- स्व० सिकर पाड़ेया ग्राम- कुन्डियाधर थाना- कुमारडुंगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम; झारखण्ड का नीलाम पत्र वाद सं० 179(Adv)/70-71 के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार से नीलाम पत्र की राशि मुलधन-244.80 ब्याज-442.80 लगत-9.00 कुल-696.60 रूपये बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">   29/08/22  नीलाम पत्र पदाधिकारी,  कुमारडुंगी। </p>	